न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—16/2019 (2019/00191) वाद पत्र

अनवान

1. शंकरलाल पिता छगनलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मियाराम पिता चतुर्भुज गुर्जर निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बन्ना पिता जयराम गुर्जर निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. अमरा पिता हजारी गुर्जर निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लादु पिता आसु गुर्जर निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लच्छु पिता आसु गुर्जर निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भैरू पिता हजारी खाती निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हीरा पिता नारू खाती निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. जाकिर हुसैन —

वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः—21.10.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भींटा तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में वादी के स्वामित्व की खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमियां खाता संख्या 328 में अकिंत आराजी संख्या 129 रकबा 1.18 है0, आराजी संख्या 150 रकबा 0.14 है0, भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की है। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित वादग्रस्त आराजियात पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परंतु प्रतिवादीगण आए दिन वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आ.सं. 129 रकबा 1.18 हैक्ट व आ.सं. 150 रकबा 0.14 हैक्ट पर अवैध कब्जा करने की नियत से धीरे धीरे वादी की आ.सं. 129 व 150 की पुरानी थोहर की बाड़ गिर जाने से उस पर अवैध रूप से दखलंदाजी करना शुरू कर दिया तथा वादी द्वारा प्रतिवादीगण को रोकने पर भी नहीं माने तथा वादी अक्सर बाहर निवास करता है जिससे कभी कभी अपनी भूमी पर आता जाता है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या एक से तीन ने वादी की आ. सं. 129 की उत्तरी पाली पर तथा प्रतिवादी संख्या चार व पांच ने दक्षिणी पूर्वी पाली पर अवैध कब्जा कर लिया तथा प्रतिवादी संख्या छः व सात ने वादी की आ.सं. 150 की उत्तरी पाली पर अवैध कब्जा कर लिया जिस पर अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी के आदेश होने की अनुपालना में वादी की कृषि आराजियात की दिनांक 6.5.2018 को पत्थरगढ़ी की जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें प्रतिवादी संख्या एक से तीन का वादी की आ.सं. 129 रकबा 1.18 हैक्ट की उत्तरी पाली पर 0.24 हैक्ट पर तथा प्रतिवादी संख्या चार से पांच का दक्षिण पूर्वी पाली 0.15 हैक्ट. भूमी पर अवैध कब्जा पाया गया। इसी तरह वादी की आ.सं. 150 रकबा 0.14 हैक्ट पर प्रतिवादी संख्या 6 से [illegible] कब्जा पाया गया। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी की आ.सं. 129 रकबा 1.18 है0 में [illegible] हैक्ट तथा आ.सं. 150 एकबा 0.14 हेक्ट में से 0.04 हैक्ट. पर किए गए अवैध क[illegible] प्रतिवादीगण आजकल में हटाने की बात कहकर टालमबाजी करने लगे तथ[illegible] 30.12.20[illegible] को वादी ने अंतिम ब[illegible]दीगण को उनका अवैध कब्जा हटाने बाबत् कहा [illegible] गए। प्रतिवादीगण [illegible] की आ.सं. 129 रकबा 1.18 हैक्ट में से 0.39 हैक्ट तथा आ.सं. 150 [illegible] 0.14 हैक्ट में से 0.04 हैक्ट पर अवैध कब्जा कर लिया हैं जो गलत होकर अवैध है जिससे प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादी के पक्ष में बेदखली की डिक्री जारी फरमाया जाकर कब्जा बादी को दिलाने की डिक्री जारी फरमाई जाए। वादग्रस्त आ.स. 129 रकबा 1.18 हैक्ट व आ.सं. 150 रकबा 0.14 हैक्ट भूमी वादी के खातेदारी अधिकारों की है जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:16:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण आए दिन दखलंदाजी कर वादी को नुकसान कारित करते रहते हैं जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष मे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया हैं कि प्रतिवादीगण वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आ.सं. 129 व 150 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की बेदखली की डिक्री सादिर फरमाई जाए की ग्राम भींटा की आ.सं. 129 रकबा 1.18 हैक्ट में से 0.39 हैक्ट तथा आ.सं. 150 रकबा 0.14 हैक्ट में से 0.04 हैक्ट पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाया जाकर वादी को दिलाया जाने की डिक्री जारी फरमाई जावे। साथ ही बहे वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाई जाए कि प्रतिवादीगण वादी की आराजी संख्या 129 व 150 में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वंय करे न अन्य से करावे तथा वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किया गया। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 8 फौरमल पक्षकार है जिनके विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहते है।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश कर जमाबन्दी 2071 से 2074 की पेश की एवं पत्थरगढ़ी पर्चा मौका दिनांक 06.05.2018 की प्रति पेश की है। वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में वादी के नाम दर्ज भूमि की पत्थरगढ़ी कराने पर प्रतिवादीयो का कब्जा पाया गया जिससे प्रतिवादीगणो को बेदखल कर कब्जा दिलाया जाने हेतु वाद डिक्री फरमावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया वादपत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी अनुसार ग्राम भींटा के आराजी संख्या 129 रकबा 1.18 है0, आराजी संख्या 150 रकबा 0.14 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.32 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादी द्वारा पत्थरगढ़ी कराने पर संलग्न पर्चा मौका के अनुसार आराजी संख्या 129 मे 0.24 है0 पर प्रतिवादी सख्या 1 से 3 का एवं आराजी संख्या 150 मे 0.14 है0 पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का कब्जा पाया गया है जिसके सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी समन प्राप्त होने के बाद भी कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वादीगणो के पास कब्जे सम्बन्धी कोई साक्ष्य व रेकार्ड नही है। वादी खातेदार है। वादी के द्वारा वाद को प्रमाणित कराया है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 129 रकबा 1.18 है0 मे से 0.24 है0 भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को एवं आराजी संख्या 150 रकबा 0.14 है0 सम्पूर्ण भूमि से प्रतिवादी संख्या 4, 5 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि वादवर्णित वादी के नाम दर्ज भूमि से वादी को कोई दखलदांजी न तो स्वयं करे या न अन्य से करावे तथा वादी को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:16:25 IST
Reason: SelfAttested

21.10.2021
सुन्दरलाल बम्बोड़ा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–16/2019 (2019/00191) वाद पत्र

अनवान

1. शंकरलाल पिता छगनलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मियाराम पिता चतुर्भुज गुर्जर निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बन्ना पिता जयराम गुर्जर निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. अमरा पिता हजारी गुर्जर निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लादु पिता आसु गुर्जर निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लच्छु पिता आसु गुर्जर निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भैरू पिता हजारी खाती निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हीरा पिता नारू खाती निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 129 रकबा 1.18 है0 मे से 0.24 है0 भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को एवं आराजी संख्या 150 रकबा 0.14 है0 सम्पूर्ण भूमि से प्रतिवादी संख्या 4, 5 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि वादवर्णित वादी के नाम दर्ज भूमि से वादी को कोई दखलदांजी न तो स्वयं करे या न अन्य से करावे तथा वादी को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.10.2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:16:25 IST
Reason: SelfAttested

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा